न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 17/2015 G.C.M.S. No. 2015/00507 दर्ज दिनांक : 26.06.2015

अपीलार्थिगण:

1. स्व. पकाराम उर्फ पुखराज पुत्र भूराजी के का.मु. वारिसानः–
   1/1 सोहनलाल पुत्र पकाराम उर्फ पुखराजी
   1/2 शांतिलाल पुत्र पकाराम उर्फ पुखराजी
   1/3 किशोर पुत्र पकाराम उर्फ पुखराजी
   1/4 शारदा पुत्री पकराम उर्फ पुखराजी
   1/5 सुन्दर पत्नि पकराम उर्फ पुखराजी
2. स्व. हीरा पुत्र भूराजी के का.मु. वारिसानः–
   2/1 गीता पत्नि हीरालालजी
   2/2 रमेशकुमार पुत्र हीरालालजी
   2/3 दीपक पुत्र हीरालालजी
   2/4 आशा उर्फ सिका पुत्री हीरालालजी
   2/5 रेखा पुत्री हीरालालजी
   2/6 दीना पुत्री हीरालालजी
   2/7 चम्पादेवी पुत्री हीरालालजी
   2/8 मंजू पुत्री हीरालालजी
   2/9 ललीता पुत्री हीरालालजी
   2/10 संगीता पुत्री हीरालालजी
3. दाखू पत्नि मूलाजी
4. भंवरी पुत्री मूलाजी
5. कन्या पुत्री मूलाजी
6. बीबा उर्फ बेबी पुत्री मूलाजी
7. मदिया उर्फ मधु पुत्री मूलाजी
8. तारादेवी पुत्री मूलाजी तमाम जातिगण ढोली निवासीगण नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. स्व. केसा पुत्र गमनाजी उर्फ पुनाजी के कायम मुकाम वारिसानः–
   1/1 सोनाराम पुत्री केसाजी
   1/2 सुजाराम पुत्र केसाजी
   1/3 छगनालाल पुत्र केसाजी
   1/4 मदनलाल पुत्र केसाजी
   1/5 कान्तिलाल पुत्र केसाजी
   1/6 स्व. बंशीलाल पुत्र केसाजी के कायम मुकाम :–
   1/6/1 दिलीप पुत्र बंशीलालजी तमाम जातिगण लखारा निवासीगण नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली।
   1/7 बदामी पुत्री केसाजी पत्नि धनारामजी जाति लखारा निवासी पुराना पुलिस थाना के पास, छीपों का बास, बाली, तहसील बाली, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2008 बअनवान केसा बनाम पकीया वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015

उपस्थितः–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 11.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2008 बअनवान केसा बनाम पकीया वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा ग्राम चक सुजापुरा पटवार क्षेत्र केसुली तहसील देसूरी के हाल खसरा नम्बर 112 रकबा 1.0300 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि अपीलाण्ट्स संख्या 1/1 लगाय 1/5, 2/1 लगाय 2/10, 3 लगाय 8 की पुश्तैनी कब्जे काश्त की खातेदारीशुदा की कृषि भूमि है, जिस सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अपीलाण्ट्स का व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त आज दिन तक शांतिपूर्ण कायम है। इस तरह उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपीलाण्ट्स अपने परिवार सहित लगातार जोत कर व धोरा पाली कर, हिफाजत कर अपने जीवन भर की कमाई लगाकर कृषि योग्य बनाया है। परन्तु उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 अनुसार 1/2वां हिस्सा केसा पुत्र गमना कौम लखारा निवासी नारलाई के नाम दर्जशुदा है। ग्राम नारलाई तहसील देसूरी में केसा पुत्र गमना कौम लखारा की वलदियत का कोई व्यक्ति नहीं हैं। जबकि केसा पुत्र पूनाजी कौम लखारा के नाम का व्यक्ति है। जिससे उक्त कृषि भूमि में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/1 लगाय 1/7 के पिता केसा पुत्र पूना कौम लखारा निवासी नारलाई तहसील देसूरी का 1/2वां हक–हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं न ही इनकी मृत्यु के बाद इनके वारिसानों का उक्त भूमि पर आज दिन तक कोई कब्जा काश्त है। केसा पुत्र पूनाजी के अधिनस्थ न्यायालय में हुए बयानों से भी यह स्पष्ट है कि केसा पुत्र गमना के नाम का ग्राम नारलाई में कोई व्यक्ति नहीं है एवं अपीलाण्ट्स के परिवार वाले उक्त कृषि भूमि पर काश्त नहीं करने देने पर उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया है कि बात कही गयी है। इस तरह उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया यह साबित है कि रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1 केसा पुत्र पूनाजी व उनके वारिसानों का कृषि भूमि के हक हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जिससे अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा बिना कोई ठोस साक्ष्य व सबूतों के आधार पर उक्त आदेश व डिक्री पारित किया है। केसा पुत्र पूनाजी कौम लखारा ने उक्त भूमि के 1/2वां हक–हिस्से को केवल मात्र हड़प करने की नियत से एवं अपीलाण्ट्स को 1/2वां हक–हिस्से से वंचित रखने की नियत से अपनी वलदियत केसा पुत्र गमनाजी उर्फ पूनाजी बताकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत, झूठे तथ्यों एवं बिना कब्जे काश्त के आधार पर वाद पत्र पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है। क्योंकि ग्राम नारलाई तहसील देसूरी में केसा पुत्र पूना कौम लखारा नाम का व्यक्ति है, परन्तु केसा पुत्र गमना कौम लखारा की वलदियत का कोई व्यक्ति नहीं हैं एवं न ही उक्त कृषि भूमि पर केसा पुत्र गमनाजी की वलदियत के व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त आज दिन तक रहा है। ग्राम नारलाई तहसील देसूरी में केसा पुत्र गमनाजी के नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं, जिसका स्पष्टीकरण ग्राम नारलाई की मतदाता सूची से स्पष्ट है। उपरोक्त खातेदारी बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 को आदेशित किया गया था। परन्तु रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा बिना पक्षकारों को सूचित किये केवल मात्र कागजी कार्यवाही कर केम्प में अपना लक्ष्य पूरा करने हेतु जल्दबाजी में पक्षकारों की बिना उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मनमर्जी से तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की हैं। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौके पर जाकर आज दिन तक पक्षकारों की उपस्थिति में कोई मौका नहीं देखा गया एवं न ही नाप–चौक कर पक्षकारों के बीच बंटवाडा कर हदूद कायम किये गये हैं। जिसको देखने पर प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि पक्षकारों की कोई उपस्थिति नहीं थीं एवं न ही उस पर पक्षकारों के कोई हस्ताक्षर वगैरह उपस्थिति बाबत है। मौका रिपोर्ट तैयार करने के वक्त वादी केसा पुत्र पूनाजी जीवित नहीं था। जिनकी मृत्यु दिनांक 28–05–2014 को हो चुकी थीं। इसके अतिरिक्त राजस्व लोक अदालत कैम्प के संबंध में यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रहे उक्त विचाराधीन वाद को मृत व्यक्ति के पक्ष में आदेशित कर पक्षकारों की बिना सुनवाई कर निस्तारण किया है। जो कानूनी रूप से काबिले खारिज करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रकरण में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की :–

1. 2012 (1) RRT 350 (S.C.) page 351
2. 2019 (2) RRT 835
3. 2014 DNJ (rev.) 45
4. 2014 (2) RRT 1132
5. 2010 (2) RRT 1286
6. 2023 (1) RRT 133

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन करते हुए प्रकरण के समुचित न्याय निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र दिनांक 21.07.1997 को प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2015 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 01.06.2015 को अंतिम डिक्री किया गया। अपीलांट्स प्रतिवादीगण द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 26.06.2015 को प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हैं। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री बाद साक्ष्य विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन के उपरांत पारित की गई हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के संबंध में किसी प्रकार का उज्र व आपत्ति हस्तगत अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में लिए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व, एवं प्राथमिक डिक्री के संबंध में प्रक्रियात्मक या विधिगत हस्तगत अपील में किए गए आक्षेप स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाते हैं।
3. अपील अपीलांट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि वादग्रस्त आराजी में जमाबंदी संवत 2068–2071 में 1/2 हिस्सा केसा पुत्र गमना कौम लखारा के नाम दर्जशुदा है। लेकिन ग्राम नारलाई में केसा पुत्र गमना कौम लखारा नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। जबकि केसा पुत्र पुना कौम लखारा नाम का व्यक्ति है। जिसका वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा के संबंध में हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रथम तो यह आपत्ति प्राथमिक डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से संबंधित है। जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई हैं। हस्तगत अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील के स्तर पर इस पर आपत्ति स्वीकार्य नहीं हैं। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा केसा पुत्र गमनाजी उर्फ पुनाजी के नाम से वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा बाद साक्ष्य प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत नारलाई द्वारा दिनांक 28.02.2011 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार भी केसा पुत्र गमना एवं केसा पुत्र पुना वस्तुतः एक ही व्यक्ति होना तथा ग्राम नारलाई के निवासी होना प्रमाणित किया है। साथ ही इस संबंध में अपीलांट सहखातेदार को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसी प्रकार उपलब्ध भू–अभिलेख से स्पष्ट है कि अविभाजित सहखातेदारी भूमि के संबंध में सभी सहखातेदारों का अपने हक–हिस्सा तक ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जाकाश्त माना जाता है। अतः अपीलांट की यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित कर कानूनन भूल की हैं, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करने के पश्चात अपीलांट संख्या 1 पकाराम उर्फ पुखराज की मृत्यु हुई हैं। अन्य प्रतिवादी संख्या 2 से 8 द्वारा वाद को कंटेस्ट किया गया है तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 1 साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुए हैं। विभाजन का वादपत्र अबेट नहीं हो सकता। साथ ही प्रतिवादीगण/अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी पक्षकार की मृत्यु की सूचना न्यायालय को नहीं दी गई। अतः ऐसी स्थिति में पारित डिक्री की शुद्धता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

5. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर गए बिना तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पारित डिक्री काबिल अपास्त है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि वादग्रस्त आराजी में वस्तुतः मूल रूप से 1/2–1/2 हिस्से के दो सहखातेदार है। जिनके मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना है तथा वादी रेस्पोंडेंट किसी भी रूप में दो हिस्सों में विभाजन के लिए सहमत है। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा वस्तुतः विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के द्वारा ही तैयार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात को दो भागों में विभाजित किया गया है। अतः विभाजन प्रस्ताव एवं उसके आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होती हैं। अतः यह उज्र भी स्वीकार योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2008 बअनवान केसा बनाम पकीया वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 की पुष्टि जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **11.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner